मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः 03.08.2025

थाना अहरौरा पुलिस द्वारा ₹ 25000/- का इनामियाँ गैंगेस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार —

“सोमेन बर्मा” वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने तथा अपराध की रोकथाम एवं इनामियाँ/पुरस्कार घोषित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में प्रभावी कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त थाना प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन के पर्यवेक्षण में थाना अहरौरा पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज दिनांकः 03.09.2025 को प्रभारी निरीक्षक थाना अहरौरा मय पुलिस टीम क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि इस दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना अहरौरा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सेमरा नहर चौराहे के पास से मु 0अ0सं0-196/2025 धारा 3(1)उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम के अभियोग से सम्बन्धित ₹ 25 हजार के इनामियाँ अभियुक्त चन्दन कुमार सिंह पुत्र अमरनाथ सिंह निवासी सिरसी थाना चुनार जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0न्यायालय/जेल भेजा गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त—

चन्दन कुमार सिंह पुत्र अमरनाथ सिंह निवासी सिरसी थाना चुनार जनपद मीरजापुर , उम्र करीब-32 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0-196/2025 धारा 3(1)उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर।

आपराधिक इतिहास—

मु0अ0सं0-212/2024 धारा 309(6),105,317(2),127(2) बीएनएस थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय—

ग्राम सेमरा नहर चौराहे के पास से, आज दिनांकः03.09.2025 को समय 01:35 बजे।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—

प्रभारी निरीक्षक थाना अहरौरा-अजय सेठ मय पुलिस टीम।

थाना अहरौरा के नवनिर्मित अष्टकोणीय भवन का
लोकार्पण
श्री पीयूष श्रीवास्तव I.P.S
के कर कमलों द्वारा
धर्मवीर सिंह I.P.S
को सम्पन्न हुआ।
हीतेन्द्र कृष्ण
क्षेत्राधिकारी आपरेशन
मीरजापुर

****